



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

18 आश्विन, 1944 (श०)

संख्या - 499 राँची, सोमवार, 10 अक्टूबर, 2022 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

7 अक्टूबर, 2022

अधि.सं.-8/गठन/107/2017/न.वि.आ.3505--झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा-3 की उपधारा (2) सहपठित धारा-4, 5, 6, धारा-8 की उपधारा (3) तथा धारा-14(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विभागीय अधिसूचना संख्या-2115, दिनांक-17.04.2018 द्वारा चतरा जिला अन्तर्गत टण्डवा अंचल के 02 पंचायत-बचरा उत्तरी (अंश) एवं बचरा दक्षिणी को मिलाकर विधिवत बचरा नगर पंचायत का गठन किया गया था तथा विभागीय अधिसूचना संख्या-2824 दिनांक-31.05.2018 द्वारा मानक जनसंख्या के आधार पर उक्त नगर पंचायत अंतर्गत 10 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) का गठन किया गया था।

2. कालान्तर में माननीय विधायक तथा अन्य स्थानीय जन प्रतिनिधियों एवं क्षेत्र के अन्य ग्रामीणों से बचरा नगर पंचायत के गठन के संबंध में यह आपत्ति प्राप्त हुई कि नगर पंचायत क्षेत्र में शामिल सम्पूर्ण क्षेत्र ग्रामीण प्रकृति का है तथा अधिकांश जनसंख्या निर्धन एवं कृषि कार्य पर निर्भर है। फलस्वरूप नगर पंचायत के गठन होने से जनता पर कर का अतिरिक्त बोझ बढ़ गया है।

3. उक्त आपत्तियों पर उपायुक्त, चतरा से मंतव्य की मांग की गई। उपायुक्त चतरा के पत्रांक-289/गो., दिनांक-22.03.2022 द्वारा बचरा नगर पंचायत के विघटन की अनुशंसा की गई है तथा उक्त अनुशंसा पर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद् बचरा के पत्रांक-40 दिनांक-29.03.2022 के माध्यम से सहमति व्यक्त की गई है।
4. उक्त आलोक में झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा-9 (6) के परन्तुक के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या-2022 दिनांक-15.06.2022 द्वारा चतरा जिला अन्तर्गत टण्डवा अंचल के 02 पंचायत - बचरा उत्तरी अंश एवं बचरा दक्षिणी को मिलाकर विभागीय अधिसूचना संख्या-2115, दिनांक-17.04.2018 द्वारा गठित बचरा नगर पंचायत एवं विभागीय अधिसूचना संख्या-2824 दिनांक-31.05.2018 द्वारा मानक जनसंख्या के आधार पर उक्त नगर पंचायत अंतर्गत 10 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) को विघटित करने संबंधी प्रारूप आदेश निर्गत करते हुए 30 (तीस) दिनों के अन्दर बचरा नगर पंचायत के विघटन के प्रस्ताव/प्रारूप पर आपत्ति एवं सुझाव उपायुक्त, चतरा के कार्यालय में समर्पित किये जाने की सूचना प्रकाशित की गयी।
5. निर्धारित 30 दिनों के अन्तर्गत प्राप्त आपत्ति एवं सुझाव के आलोक में उपायुक्त, चतरा के पत्रांक-677/जि.पं. दिनांक-04.08.2022 द्वारा बचरा नगर पंचायत के विघटन की अनुशंसा की गयी है।
6. अतएव सम्यक् विचारोपरांत नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची की विभागीय अधिसूचना संख्या-2115, दिनांक-17.04.2018 द्वारा चतरा जिला अन्तर्गत टण्डवा अंचल के 02 पंचायत-बचरा उत्तरी (अंश) एवं बचरा दक्षिणी को मिलाकर गठित बचरा नगर पंचायत तथा विभागीय अधिसूचना संख्या-2824 दिनांक-31.05.2018 द्वारा मानक जनसंख्या के आधार पर उक्त नगर पंचायत अंतर्गत गठित 10 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) को विघटित किया जाता है।

झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से,

विनय कुमार चौबे,
सरकार के सचिव।
